29/5/2024. पत्रावली पेश हुयी। वादी की ओर से अधिवक्ता उपस्थित। वादी ने यह दावा बाबत तकासमा और स्थायी निषेधाज्ञा पेश किया है। पत्रावली मय रिकॉर्ड के गहनता-पूर्वक अवलोकन से यह तथ्य सामने आया है कि उक्त वाद में ~~मौके~~ - ~~कमिश्नर~~ तहसीलदार रिपोर्ट शामिल पत्रावली है, मुताबिक तहसीलदार रिपोर्ट, वादीगण द्वारा जिन विवादग्रस्त आराजी पर तकासमा (बंटवारा) का दावा पेश किया गया है, उनमें से अधिकांश भूमि का

Signature Not Verified
Digitally signed by Sarita Sharma
Date: 2024.06.12 10:45:47 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर

Acm Jaipur Ist

फर्द अहकाम

रामनारायण बनाम लालाराम

दावा 77/2009

दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
29/5/24	वादीगण द्वारा, दावे की Pendency के दौरान ही अन्तरण कर दिया गया। वादीगण द्वारा आवश्यक पक्षकारों को वाद में संयोजित भी नहीं करवाया गया। विवादित कुछ भूमि 'गैर मुमकिन चाह' के रूप में दर्ज है, मुताबिक तहसीलदार रिपोर्ट गैर मुमकिन चाह का बंटवारा किया जाना सम्भव नहीं है। शेष भूमि के बंटवारे के सम्बन्ध में वादीगणों ने कथन किया कि उन्होंने आपसी सहमति के आधार पर बंटवारा कर लिया है उक्त वाद को आगे चलाना नहीं चाहते। ([illegible]) अतः मुताबिक रिपोर्ट मय रिकॉर्ड, वादी का वाद infructuous (सारहीन) ...	

Signature Not Verified
Digitally signed by Sarita Sharma
Date: 2024.06.12 10:45:47 IST
Reason: SelfAttested

जयपुर शहर प्रथम

फर्द अहकाम

बनाम

न न्यायालय

ल संख्या

न संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से
		देने के आधार पर खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर पर्ज नम्बर से कम हो।

सहायक कलक्टर
जयपुर शहर प्रथम

Signature Not Verified

Digitally signed by Sarita Sharma
Date: 2024.06.12 10:45:47 IST
Reason: SelfAttested